



# संचालनालय महिला एवं बाल विकास

"विजयाराजे वात्सल्य भवन", 28-ए अरेरा हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश - 462011

दूरभाष : 0755-2550909, 2550910 फ़ैक्स : 0755-2550912

ई-मेल : commwcd@mp.nic.in वेबसाईड : www.mpwcd.org

भोपाल दिनांक...13/10/2011...

क्र./म.बा.वि./...7638/11-12

## विज्ञप्ति


### संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तरीय परिवार परामर्श केन्द्र

प्रत्येक जिले में 01 (एक) संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तरीय परिवार परामर्श केन्द्र में की जाना है। संरक्षण अधिकारी का चयन जिला स्तरीय परिवार परामर्श केन्द्र की पुर्नगठित प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा।

#### 1. संरक्षण अधिकारी की अर्हताएं एवं अनुभव :-

- 1.1 आवेदन के समय संरक्षण अधिकारी की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिये।  
(आवेदन दिनांक को आयु)
- 1.2 सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।
- 1.3 महिला को प्राथमिकता दी जाये।
- 1.4 बी.एस.डब्ल्यू./एम.एस. डब्ल्यू, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान अथवा विधि(एल.एल.बी) विषय में स्नातक
- 1.5 कम्प्यूटर संचालन में दक्ष को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 1.6 आवेदक किसी राजनैतिक दल का सदस्य न हो।
- 1.7 आवेदक अशासकीय संस्था का सदस्य होना चाहिये।

नोट-आवेदन का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग की वेब साइट [www.mpwcd.nic.in](http://www.mpwcd.nic.in) पर उपलब्ध है। सचिव, जिला स्तरीय परिवार परामर्श केन्द्र/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 1 माह के भीतर आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा कर, निर्धारित प्रारूप में पावती प्राप्त करें।

  
संचालक,  
महिला एवं बाल विकास,  
मध्यप्रदेश

## संरक्षण अधिकारी के चयन हेतु आवेदन-प्रारूप

प्रति,

अध्यक्ष (पुलिस अधीक्षक)  
जिला स्तरीय परिवार परामर्श केन्द्र,  
जिला ..... (मध्यप्रदेश)

1. जिले का नाम .....
2. आवेदक का नाम .....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम .....
4. आवेदक की जन्म तारीख  
(आवेदन दिनांक को आयु) .....
5. शैक्षणिक योग्यता .....
6. कम्प्यूटर संचालन में दक्षता की जानकारी .....
7. आवेदक जिस अशासकीय संस्था/संस्थाओं  
का सदस्य है, उसका नाम, पता, टेलीफोन नम्बर .....
8. संस्था/संस्थाओं में सदस्यता की अवधि .....
9. संस्था में किये गये कार्यों की तथ्यात्मक जानकारी .....
10. कोई अन्य अनुभव संबंधी विवरण .....
11. आवेदक किसी राजनीतिक दल  
का सदस्य है या नहीं .....

12. वैवाहिक स्थिति (Status) :-

विवाहित/30 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहिता/.....  
विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता .....

13. वर्तमान निवास स्थान का पता

.....  
.....  
.....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी तथा इसके लिये मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान

दिनांक

(हस्ताक्षर आवेदक)

.....

संलग्न सत्यापित प्रतियाँ :

1. जन्मतिथि का प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण पत्र
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची/प्रमाण पत्र
3. कम्प्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र
4. अशासकीय संस्था का सदस्यता का प्रमाण पत्र
5. संस्था में किये गये कार्यों का विवरण
6. सामाजिक क्षेत्र में किये गये अन्य कार्यों की उपलब्धि का विवरण
7. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता से संबंधी दस्तावेज
8. कोई अन्य

अध्यक्ष (पुलिस अधीक्षक) जिला स्तरीय परिवार परामर्श केन्द्र, जिला .....(म.प्र.)

## पावती

दिनांक .....

श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति श्री .....  
से संरक्षण अधिकारी हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र सरल क्रमांक .....  
दिनांक ..... पर पंजीकृत किया गया है।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति प्राप्त हुई है अथवा नहीं:-

1. जन्मतिथि का प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण पत्र (हॉ/नहीं)
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची/प्रमाण पत्र (हॉ/नहीं)
3. कम्प्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र (हॉ/नहीं)
4. अशासकीय संस्था का सदस्यता का प्रमाण पत्र (हॉ/नहीं)
5. संस्था में किये गये कार्यों का विवरण (हॉ/नहीं)
6. सामाजिक क्षेत्र में किये गये अन्य कार्यों की उपलब्धि का विवरण (हॉ/नहीं)
7. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता से संबंधी दस्तावेज (हॉ/नहीं)
8. कोई अन्य

दिनांक : .....

हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता का नाम

पदनाम

उषा किरण योजनान्तर्गत जिला (पुलिस) परिवार परामर्श केन्द्र को  
प्रदाय अनुदान / बजट प्रावधान

क्र.	विवरण	प्रावधानित मासिक राशि रू. में	वार्षिक प्रावधानित राशि रू. में	रिमार्क
1	मानदेय पर नियुक्त संरक्षण अधिकारी	10000 (मासिक मानदेय)	120000	-
2	संरक्षण अधिकारी को प्रदाय यात्रा भत्ता	1000	12000	यात्रा भत्ता का भुगतान मध्यप्रदेश शासन द्वारा परियोजना अधिकारी को प्रदाय मापदण्ड अनुसार किया जावेगा।